TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue

New Delhi, the 30/3/99

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O.No. In exercise of the powers conferred by clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Gujarat Cricket Association, Ahemdabad" for the purpose of the said clause for assessment years 1999-2000 to 2000-2001 subject to the following conditions, namely:-.

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-section (2) and (3) of Section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provision to the aforesaid clause (23) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it; and

(iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

Notification No. 10842 (F.No. 196/1/99-ITA-I)

(SAMAR BHADRA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च, 99

अधिसूचना

(आयकर)

का0आ0संख्या   आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा " गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, अहमदाबाद "   को 1999-2000 से 2000-2001 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

(i) कर -निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खण्ड (23) द्वारा यथा-वर्णि धारा 11 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्यत उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है,

(ii) कर निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिर फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपर्युक्त खण्ड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा स

(iii) कर निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग संवितरण अपने से संबद्ध किसी एसोसिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा, और

(iv) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अल से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

समर भद्र
(समर भद्र)
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं0 10842

(फा0सं0 196/1/99- आ0क0नि0I)

सेवा में,
प्रबन्धक,